कुर्की की कार्रवाई पर अब निगम बरतेगा सख्ती, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कुर्की दल का किया गठन

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राजस्व एवं संपत्तिकर विभाग की बैठक ली, उन्होंने कम वसूली एवं बकायादार से वसूली नहीं होने को लेकर अधिकारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राशि नहीं देने वाले बकायेदारों से राशि वसूलने के लिए सीधे कुर्की की कार्यवाही करें। इसके लिए दल का आज गठन भी कर दिया गया है। कुर्की पर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। 21 फरवरी 2022 से नेहरू नगर जोन से कुर्की अभियान की शुरुआत होगी और स्पॉट पर जाकर अधिकारी संपत्तिकर एवं अन्य टैक्स की वसूली करेंगे। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति आयुक्त श्री सर्वे ने कर दी है और राजस्व अधिकारी एनआर रत्नेश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बकाया राशि को वसूलने के लिए सभी जोन आयुक्त को दल में शामिल किया गया है। गठित दल में जोन आयुक्त मनीष गायकवाड , पूजा पिल्ले, ऐशा लहरें, अमिताभ शर्मा, प्रीति सिंह, प्रभारी राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, मलखान सिंह सोरी, बालकृष्ण नायडू एवं जेपी तिवारी को बकाया राशि वसूली के लिए गठित दल में शामिल किया गया है। यह दल नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन भूमियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत जारी किए गए कुर्की वारंट पर कार्रवाई करेंगे। वही जोनवार कुर्की की कारवाही हेतु तिथि भी नियत कर दी गई है नेहरू नगर जोन में 21 फरवरी, 2 मार्च, 11 मार्च एवं 23 मार्च, वैशाली नगर जोन में 23 फरवरी, 4 मार्च, 14 मार्च एवं 25 मार्च, मदर टैरेसा नगर में 25 फरवरी, 7 मार्च एवं 16 मार्च, शिवाजी नगर जोन में 28 फरवरी, 9 मार्च एवं 21 मार्च तथा जोन क्रमांक 5 सेक्टर 6 में 29 मार्च एवं 31 मार्च को बकाया राशि वसूली के लिए कुर्की की कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विगत 3 वर्षों में नेहरू नगर जोन के 69 बकायेदारों को, वैशाली नगर के 98 बकायेदारों को, मदर टैरेसा नगर के 42 बकायेदारों को एवं शिवाजी नगर के 63 बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी किया गया है। इस प्रकार से 272 बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी हो चुका है। इनमें से कई बकायेदारों ने राशि जमा कर दी है परंतु जिन्होंने अब तक राशि जमा नहीं की है उन पर अब निगम सख्त रवैया अपनाने जा रहा है, और सीधे बकायेदारों के पास पहुंचकर उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी और इससे राशि की वसूली की जाएगी।